

प्रेषक,

बलराम प्रसाद,
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरवाहन निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- **M/S- Tata Motors Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s- **Tata Motors Ltd.** के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या-AAIN 0250/29.08.2013 एवं ARAI/CMVR/11647(AIS:018)/29.08.2015 की अभिप्रमाणित प्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	Variants	Types of Vehicle	EX - Showroom Price
1	TATA LPK TC BSIII Tipper Chassis with Full Forward Control Non Sleeper Fixed Cab	(i) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper with Full Forward Control Non Sleeper Fixed Cab with 10 CuM. Box Tipper body (ii) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper with Full Forward Control Non Sleeper Fixed Cab with 7 CuM. Scoop Tipper body (iii) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper with Full Forward Control Non Sleeper Fixed Cab with 8.5 CuM. Box Tipper body (iv) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper with Full Forward Control Non Sleeper Fixed Cab with 8.5 CuM. Box Tipper body (v) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper Chassis with Full Forward Control Sleeper Fixed Cab (vi) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper with Full Forward Control Non Sleeper Fixed Cab with 7 CuM. Scoop Tipper body (vii) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper Chassis with Full Forward Control Sleeper cowl (viii) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper Chassis with Full Forward Control Non Sleeper cowl (ix) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper with Full Forward Control Non Sleeper Cab with 10 CuM. Box Tipper body (x) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper Chassis with Full Forward Control Sleeper Fixed Cab (xi) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper Chassis with Full Forward Control Non Sleeper cowl (xii) TATA LPK 1615 TC BSIII Tipper Chassis with Full Forward Control Sleeper cowl	Heavy Goods Vehicles-N3	Rs. 20,15,652/-

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोडक्शन किस प्रकार प्रमाणित किया गया है निबन्धान भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पत्रियों की निबन्धित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की भाषा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. उपरोक्त मॉडलों एवं Variants के निबंधन के समय मोटरयान निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें निर्धारित मानक का Speed Governer लगा हुआ है।
9. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- Authorised Signatory: For Tata Motors Ltd. 109, Adharshila Complex, South Gandhi Maidan, Patna-800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

6229

पटना, दिनांक :

19/11/16

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Vahan Software के Master Box में इस मॉडलों की प्रविष्टि कर दिया जाय। I.T. Manager, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना